

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-323/2019

ललन भोक्ता

..... याचिकाकर्ता

बनाम

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और अन्य के माध्यम से
..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए : श्री नंद किशोर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

सी०सी०एल० के लिए : श्री अमित कुमार सिन्हा, ए०पी०पी०

03 / 24.01.2020

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनजाने में वह समय के भीतर टाइप की गई कॉपी दाखिल नहीं कर सका, जिसके लिए डब्ल्यू०पी० (एस०) 5863/2017 को खारिज कर दिया गया था और इसलिए वह पुनःस्थापन के लिए प्रार्थना करता है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय का आवेदन कि वह आज से एक सप्ताह के भीतर उचित टाइप की गई प्रति दाखिल करेगा, पर विचार करते हुए डब्ल्यू०पी० (एस०) 5863/2017 को अपनी मुल फाइल में पुनःस्थापित करने के लिए

इच्छुक हूँ बशर्ते कि वह मुख्य आवेदन में आज से दो सप्ताह के भीतर टाइप की गई प्रति दाखिल करेगा।

तदनुसार, सिविल विविध याचिका की अनुमति है।

(आनंदा सेन, न्याया0)